

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या- एफ0पी0/यू0पी0/अन्य/20968/2016

7.	परियोजना विवरण	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन, लि0 बरेली द्वारा बीसलपुर-विलसण्डा रोड, (एम0डी0आर0- 62 पी0ए0) कि0मी0 3.807 से 3.842 के मध्य बांयी पटरी पर ग्राम- मानपुर, तहसील- बीसलपुर, जिला- पीलीभीत, उ0 प्र0 में स्थित आराजी सं0- 3/1 पर रिटेल आउटलेट/ पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु वन संरक्षण अधिनियम- 1980 के अन्तर्गत कुल 0.0616 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति जिसमें विभिन्न प्रजाति के 05 वृक्ष प्रभावित होंगे।
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(ii)	जिला	पीलीभीत
(iii)	वन प्रभाग	सामाजिक वानिकी प्रभाग, पीलीभीत
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (है0 में)	0.0616 है0 (संरक्षित वन भूमि)
(v)	वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन भूमि पर लो0नि0वि0 का स्वामित्व है।
(vi)	हरियाली का धनत्व	0.4
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0/ एफ0आर0 एफ0-2 मीटर पर परिगणना और एफ0आर0एल0-4 मीटर भी संलग्न किया जाये।	संलग्न है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	रिटेल आउट लेट के निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल पर भूक्षरण की सम्भावना नहीं है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी	लगभग 12 किमी0
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव-मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व आदि का भाग है। (यदि हो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जाये)	नहीं

(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजीव की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। (यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें)	नहीं
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातवीय / पारस्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है (यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें)	नहीं
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	हाँ
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी चल रहे हैं।	नहीं
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	संलग्न है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभी निर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/ अविक्रमित वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी, भूखण्ड का आकार	निर्धारित संख्या में वृक्षारोपण जनपद के उचित स्थान पर किया जायेगा।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभी निर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अविक्रमित वन क्षेत्र, आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	संलग्न है।
(iii)	प्रतिपूरक रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेन्सी समय अनुसूची, लागत ढांचा आदि।	संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	संलग्न है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभी निर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)	संलग्न है।
11	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषता कालम-7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।
12	विभाग / जिला प्रोफाइल	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल	37567

(ii)	जिले का वन क्षेत्र	80009 है०
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाये गये कुल वन क्षेत्र	13 मामले, 19.9824 है०
(iv)	1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	9.8068 है०, 15117 पौधे
क	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	शून्य
ख	वनेत्तर भूमि	-
(v)	अब तक वनीकरण में हुई प्रगति	
क	वन भूमि	125 ब्रिकगार्डों में रोपण वर्ष- 2012-13, 315 ब्रिकगार्ड में रोपण वर्ष- 2015-16 एवं 7.28 है० में वर्ष- 2016-17 में वृक्षारोपण किया गया है।
ख	वनेत्तर भूमि पर	
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	जनहित में विकास कार्य हेतु प्रस्ताव के स्वीकृति की संस्तुति की जाती है।

A Kumar

(आदर्श कुमार)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक, शैक्षणिक, प्रभाग, पोलोभीत